

फर्द अहकाम

कार्यालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूमबर

श्रीवाला

विपक्षी श्रीलाला

कदमा श.वा.

पत्रावली संख्या

१४ सन् २०१६

21/05/25

पत्रा.पेश हुई। कर्षी (कृषि) उपखण्ड उप.। साक्ष्यप्रतिवादी हेतु भवसर चाहा। न्यायादित में भवसर दिया जाता है। मि. वाल्से साक्ष्यप्रतिवादी के दिनांक 11/06/25 को पेश हो।



11/06/25

पत्रा.पेश हुई। कर्षी (कृषि) उपखण्ड उप.। साक्ष्यप्रतिवादी हेतु भवसर चाहा। न्यायादित में भवसर दिया जाता है। मि. वाल्से साक्ष्यप्रतिवादी के दिनांक 06/08/25 को पेश हो।



06/08/25

पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी उपस्थित पीठासीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/भ्रमण... प्रशासनिक कार्य... होने पत्रावली दिनांक 14/10/25 को पेश हार्गे।

आज्ञा से



रीडर

उपखण्ड अधिकारी
सलूमबर

14/10/25

पत्रा.पेश हुई। कर्षी (कृषि) उपखण्ड उपस्थित। वादी मथ अधिवक्ता अनुपास्थित जिन्हे न्यायालय समय पर विधिवत रूप से वार-वार भावाजे लगवाई गई उसके उपरान्त श्री वादी मथ अधिवक्ता के गैर राजिर रहने से वादी का यह वाद अन्तर्गत धारा-88 R.T.A. का अदम टांजुरि व अदम पंरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली के सलुमर होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलक्टर सलूमबर

जिला सलूमबर